न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

मिसल नम्बर	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
92/2014	23.07.2014	12.03.2026

पीठासीन अधिकारी :– चारू (आई.ए.एस.)

–:: उनवान::–

1. घनश्याम पुत्र देवीलाल जाति राठौर तैली वगैराह निवासीगण ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1 भूरा पुत्र दुधिया जाति नाई वगैराह निवासीगण ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: अन्तिम निर्णय ::–

संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा दावा वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत भूमि ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी खाता संख्या 225/224 में स्थित खसरा नम्बर 97ए 98 102, 103 104 किता 5 की रकबा 0.85 है0 का विभाजन किया जावे। उक्त वाद पत्र अंशतः स्वीकार किया जाकर दिनांक 27.08.2021 को प्राथमिक डिकरी किया गया। दौराने वाद वादी द्वारा भूमि का बेचान कर दिया गया है। इस प्राथमिक डिकरी अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करा पेश करने के लिए तहसीलदार रामगंजमण्डी को निर्देश दिये गये। तत्पश्चात वादी की भूमि के केतागण घनश्याम तथा दिलराज को प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 स्वीकार कर रेकार्ड पर लिया गया। संशोधित टाईटल पेश हुआ। केतागण की तरफ से श्री सुरेन्द्र सिंह शक्तावत एडवाकेट ने वकालतनामा पेश किया । शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार रामगंजमण्डी के पत्र कमांक/राजस्व/2024/261 दिनांक 03.03.2024 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त। विभाजन प्रस्ताव पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

अतः गुणावगुण के आधार पर दावा वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी खाता संख्या 225/224 में स्थित खसरा नम्बर 97ए 98 102, 103 104 किता 5 की रकबा 0.85 है0 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाकर दावा वादी फाईनल डिकरी किया जाता है।

Che

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Dawa 32@2016 1

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत विवरण सहीत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	वि.वि.
	बालचन्द, इन्द्रा, रतन, सुगन, रूकमणी पिस. मदन हि. 10/41 लटूर कमल बनवारी, माणकचन्द हि. 13/82 सीताबाई, ज्यानी पुत्रियां दुधिया हि. 3/41 मांगीलाल पुत्र नारान हि. 43/32 जाति नाई सा. मण्डा खातेदार **(प्रतिवादीगण)**	102	0.04	ख.न. 103 से लगी हुई
		103	0.12	पूर्ण
		104	0.25	पूर्ण
		किता 3	**0.41**	-
2	घनश्याम पुत्र देवीलाल शोभा, राजेश, आरती, उषा पिस. दुर्गाशंकर मंजूबाई पत्नि दुर्गाशंकर जाति तैली सा. देह खातेदार **(वादीगण)** (केता दिलराजसिंह पुत्र बुधराजसिंह जाति राजपूत सा. मण्डा)	97	0.15	पूर्ण
		98	0.16	पूर्ण
		102	0.13	ख.न. 101 से लगी हुई
		किता 3	**0.44**	-

तहसीलदार रामगंजमण्डी नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। तद्नुसार अन्तिम डिकरी मुर्तिब हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Che

उपखण्ड अधिकारी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)